



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: upcl.uk.gov.in

पत्रांक 4705 / अधि० निदे० (मा० सं०) / उपाकालि / S-1 / विद्युत दुर्घटना

दिनांक 01/10/26

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 08.09.2026 को सम्पन्न 130वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 130.17 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्तियों की घातक एवं साधारण विद्युत दुर्घटना, पशुधन की घातक दुर्घटना एवं कारपोरेशन में उपनल, स्वयं सहायता समूह एवं पी०आर०डी० के माध्यम से कार्योजित कार्य के दौरान घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु एवं अपंगता के परिणामस्वरूप कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या-283-निदे०(मा० सं०) / उपाकालि / विद्युत दुर्घटना दिनांक 24.01.2018 के द्वारा अनुमन्य अनुग्रह धनराशि को संशोधित करते हुए निम्नलिखित स्तम्भ-2 में इंगित प्राविधान से प्रतिस्थापित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	स्तम्भ-1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित प्राविधान
1	प्रस्तर-(1) घातक मानव विद्युत दुर्घटना के परिणामस्वरूप अनुमन्य देय अनुग्रह धनराशि रु 200,000/- (दो लाख) के स्थान पर रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) प्रति व्यक्ति कर दी जाय। अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने की प्रक्रिया कारपोरेशन आदेश संख्या-912/निदे०(मा० सं०) / उपाकालि / का०जी० दिनांक 29.01.2013 के आधार पर निम्नवत् है- उपाकालि के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्तियों की मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किए जाने का प्राविधान है- रुपया 80,000.00 (रुपया अस्सी हजार मात्र) की अन्तरिम सहायता का भुगतान मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी / सहायक अभियन्ता की आख्या एवं एफ०आई०आर० दर्ज करने के 48 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जायेगा, जांच समिति विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जांच	प्रस्तर-(1) घातक मानव विद्युत दुर्घटना के परिणामस्वरूप अनुमन्य देय अनुग्रह धनराशि रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) के स्थान पर रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) प्रति व्यक्ति कर दी जाय। अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने की प्रक्रिया कारपोरेशन आदेश संख्या-912/निदे०(मा० सं०) / उपाकालि / का०जी० दिनांक 29.01.2013 के आधार पर निम्नवत् है - उपाकालि के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्तियों की मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किए जाने का प्राविधान है- रुपया 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की अन्तरिम सहायता का भुगतान मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी / सहायक अभियन्ता की आख्या एवं एफ०आई०आर० दर्ज करने के 48 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जायेगा, जांच समिति विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जांच

क्रमशः.....2

कर 10 दिनों के अन्दर जांच रिपोर्ट तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, तदोपरान्त अधिकतम पांच दिन के अवधि में अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि रु० 3,20,000.00 (रुपया तीन लाख बीस हजार मात्र) का भुगतान मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को करेंगे। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह राशि का निर्धारित समयावधि में भुगतान किये जाने एवं लेखा-जोखा रखने का दायित्व खण्ड स्तर पर सम्बन्धित लेखाकार एवं अधिशासी अभियन्ता तथा क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/उपमुख्य लेखाधिकारी का होगा। <u>प्रस्तर-(2)</u> साधारण विद्युत दुर्घटना में हुई पूर्ण अपंगता की स्थिति में रु० 4,00,000.00 (रु० चार लाख) प्रति व्यक्ति तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रु० 4,00,000.00 की धनराशि को आधार मानकर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अर्जन क्षमता में हुये प्रतिशत ह्रास के अनुसार गणना करके निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में अनुग्रह धनराशि रु० 4,00,000.00 (रु० चार लाख) से अधिक नहीं हो।	कर 10(दस) दिनों के अन्दर जांच रिपोर्ट तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, तदोपरान्त अधिकतम 05(पांच) दिन की अवधि में अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि रु० 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का भुगतान मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को करेंगे। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह राशि का निर्धारित समयावधि में भुगतान किये जाने एवं लेखा-जोखा रखने का दायित्व खण्ड स्तर पर सम्बन्धित लेखाकार एवं अधिशासी अभियन्ता तथा क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/उपमुख्य लेखाधिकारी का होगा। <u>प्रस्तर-(2)</u> साधारण विद्युत दुर्घटना में हुई पूर्ण अपंगता की स्थिति में रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) प्रति व्यक्ति तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि को आधार मानकर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अर्जन क्षमता में हुये प्रतिशत ह्रास के अनुसार गणना करके निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में अनुग्रह धनराशि रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) से अधिक नहीं हो।
2 <u>पशुधन की घातक दुर्घटना :-</u> <u>दुधारू पशु</u> (अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 30,000/- अनुमन्य किया जाये। (ब) भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 3,000/- अनुमन्य किया जाये। <u>दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु</u> (अ) ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 25,000/- अनुमन्य किया जाये।	<u>पशुधन की घातक दुर्घटना :-</u> <u>दुधारू पशु</u> (अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 50,000/- (रुपये पचास हजार) अनुमन्य किया जाये। (ब) भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 5,000/- (रुपये पांच हजार) अनुमन्य किया जाये। <u>दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु</u> (अ) ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 40,000/- (रुपये चालीस हजार) अनुमन्य किया जाये।

(ब) बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 16,000/- अनुमन्य किया जाये। उक्त निर्धारित अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति मृतक पशु के स्वामी को सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुसन्धान आख्या, मृतक पशु की क्रय रसीद को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी। इस अनुग्रह धनराशि का भुगतान भी खण्ड स्तर पर ही किया जायेगा।	(ब) बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर प्रति पशुधन अधिकतम रु० 27,000/- (रुपये सत्ताईस हजार) अनुमन्य किया जाये। उक्त निर्धारित अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति मृतक पशु के स्वामी को सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुसन्धान आख्या, पशु मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक पशु की क्रय रसीद या पशु स्वामित्व नोटरीज्ड शपथ-पत्र एवं ग्राम प्रधान या स्थानीय प्राधिकरण (ग्रामीण क्षेत्र हेतु :- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र हेतु :- नगर निगम, नगर पालिका परिषद) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत पशु स्वामित्व प्रमाण-पत्र को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी। इस अनुग्रह धनराशि का भुगतान भी खण्ड स्तर पर ही किया जायेगा।
---	--

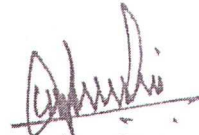
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा तथा इस आदेश के निर्गमन की तिथि या उसके पश्चात घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों पर प्रभावी होगा। इस तिथि से पूर्व घटित विद्युत दुर्घटनाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण कारपोरेशन के तत्कालीन पूर्ववर्ती आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन ही किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक 4705 -अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ S-I/विद्युत दुर्घटना तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ ऑफिसर-प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक(डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रोजेक्ट/वित्त), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उपाकालि,.....।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि,.....।
6. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उपाकालि,.....।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि,.....।
9. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।


(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा०सं०)